लापरवाही कलेक्टर का फरमान हुआ तब हुई कार्रवाई, सुपरवाईजर, कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी

चूहा कांड : ठेका कंपनी पर 50 हजार का लगा जुर्माना

जबलपुर। महाकौशल के सबसे बड़े अस्पताल कहे जाने वाले नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों को चूहों द्वारा कुतरने का मामला अब तूल पकड़ा जा रहा है। कलेक्टर का फरमान मिलने के बाद मेडिकल अधीक्षक ने पेस्ट कंट्रोल एवं सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसिस लिमिटेड पर 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। इसके साथ ही कंपनी के सुपरवाईजर, कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा है। इसके अलावा जांच समिति भी अपनी पड़ताल कर रही है। जिसे तीन दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। विदित हो कि मेडिकल अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में भर्ती तीन मरीजों को चूहों ने काटा था। जिसमें सिहोरा निवासी 25 वर्षीय रजनी बेन, श्रीधाम गोटेगांव के 50 वर्षीय सरोज मेहरा और उनके बेटे जगदीश मेहरा को चूहों ने कुतरा है।

तीन सदस्यों की समिति कर रही जांच

मामले की जांच के लिए अस्पताल अधीक्षक द्वारा तीन सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। मेडिकल कॉलेज के अर्सथ रोग विभाग के प्राध्यापक डॉ. अशोक विद्यार्थी की अध्यक्षता में गठित इस जांच समिति में सहायक अधीक्षक डॉ. राकेश सिंह गढ़वाल एवं कार्यवाहक मेट्रन श्रीमती मनीषा लाल को सदस्य नियुक्त किया गया है।

पेस्ट कंट्रोल में लाखों खर्च फिर भी चूहों पर कंट्रोल नही

चूहा कंट्रोल के नाम पर मेडिकल अस्पताल में लाखों रूपए खर्च किए गए। वार्डवार चूहा

नियंत्रण के लिए पेस्ट कंट्रोल के नाम पर 15 लाख रूपए लगभग सालाना राशि खर्च हो रही है लेकिन वार्डों में चूहों पर कंट्रोल नहीं है। जिसके चलते पेस्ट कंट्रोल काम में भ्रष्टाचार की बू आ रही है।

मामला गंभीर, सिर्फ अर्थदंड लगा

चूहों और अन्य कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए गए थे उसके बावजूद भी लापरवाही बरती गई जिसके चलते मेडिकल में चूहों का आंतक बढ़ा है। मामला उजागर होने के बाद तीन दिन बाद भी दोषियों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ कंपनी पर अर्थदंड लगाया गया है जबकि मामला बेहद गंभीर है जिम्मेदारों पर अब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है।

आयोग ने लिया संज्ञान, डीन से तलब किया प्रतिवेदन

मामले में आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। साथ ही डीन से प्रतिवेदन तलब किया है। मप्र मानव अधिकार आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी फरजाना मिर्जा ने बताया कि मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग की मुख्य पीठ भोपाल में जनहित में प्रकरण पर सुनवाई करते हुए, आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष राजीव कुमार टण्डन की एकल पीठ ने प्रथम दृष्ट्या मानव अधिकारों के हनन का मामला मानकर, जबलपुर मेडीकल कॉलेज के डीन से मामले की जांच कराकर, की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन एक माह में मांगा है।

देर रात कलेक्टर पहुंचे थे मेडिकल, लगाई थी फटकार-

ज्ञात हो कि मेडीकल कॉलेज में मरीजों के चूहों द्वारा पैर कुतरने का मामला सामने आने के बाद मंगलवार की रात कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने मेडिकल कॉलेज पहुँचकर मनोरोग विभाग का निरीक्षण किया था। कलेक्टर श्री सिंह ने इस मामले में अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश अस्पताल अधीक्षक को दिए थे। जिसके बाद मेडिकल अधीक्षक ने अर्थदंड अधिरोपित करने की कार्रवाई की है।

इनका कहना है

पेस्ट कंट्रोल करने वाली कंपनी पर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगा दिया गया है। इसके साथ ही पत्र भी लिखा गया कि सुपरवाईजर और जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएं। जांच समिति भी जांच कर रही है रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

डॉ. अरविन्द्र शर्मा
अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज

40 साल तक मामले लंबित नहीं रख सकते : हाईकोर्ट

भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े लंबित मामलों पर ट्रायल कोर्ट को दिये निर्देश

जबलपुर। भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को भोपाल ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि 1984 भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण यथाशीघ्र किया जाए। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम 40 साल तक मामले लंबित नहीं रख सकते। युगलपीठ ने भोपाल की संबंधित कोर्ट को निर्देशित किया है कि वे कार्यवाही की मासिक प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपें, जिसे प्रशासनिक स्तर पर मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति की ओर से जुलाई 2025 को जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश चंद ने बताया कि भोपाल की सीजेएम कोर्ट ने 7 जून 2010 को आरोपियों को सजा सुनाई थी। इसके बाद सभी आरोपियों ने सेशन कोर्ट में अपील प्रस्तुत की थी। वह अपील पिछले 15 सालों से अभी भी लंबित है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि यह मामला 5 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया गया है। वहीं शासन की ओर से दलील दी गई कि सीबीआई जाँच एजेंसी है और अब भी एक आपराधिक अपील तथा एक विविध आपराधिक मामला लंबित है। यह मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत आरोपियों को फरार घोषित करने के लिए दायर किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया कि आरोपी अक्टूबर 2023 से अदालत में उपस्थित हो रहा है, फिर भी अब तक कोई आदेश पारित नहीं हुआ है।

जाली एलएलबी-थ्री मामले का पटाक्षेप

मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने अभिनेता अक्षय कुमार व अरशद वारसी अभिनीत फिल्म जाली एलएलबी-थ्री मामले में दायर जनहित याचिका वापस लिए जाने का निवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण का पटाक्षेप कर दिया। जनहित याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं की ओर से समान प्रकृति के मामले में अन्य हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के आधार पर जनहित याचिका वापस लेने पर बल दिया। इस फिल्म की रिलीज डेट 19 सितंबर है। उल्लेखनीय है कि जनहित याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी अधिवक्ता प्रांजल तिवारी की ओर से दायर जनहित याचिका में आपत्ति का मुख्य बिंदु गाने के बोल थे, जिनके जरिए वकालत जैसे नोबल प्रोफेशन को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करने का आरोप लगाया गया था। उनका तर्क था कि रगो में तगड़मबाजी है, हर ताले की चाबी है, लगा के सेटिंग ऐसी रखी, बास भी हमसे राजी हैं, गाड़ी ठोंक के गोली मार, पकड़ी ड्रग चली तलवार, हर केस की पैकेज डील है, फिक्र ना कर तेरा भाई वकील है, कबीरा इस संसार में, सबसे सुखी वकील जीत गए ।

कहीं बदरा झमाझम बरसे तो कहीं सिर्फ हुई बूंदाबांदी

बरगी बांध के पांच गेटों से अब 775 क्यूसेक जल निकासी

मानसून सीजन में बारिश का आंकड़ा 1153 .6 मिमी पर पहुंचा

जबलपुर। बुधवार को भी मौसम का मिजाज बदला रहा। दोपहर बाद बादलों ने डेरा डाला। इस दौरान शहर के कहीं हिस्सों में झमाझम बारिश हुई तो कुछ हिस्सों में सिर्फ बूंदाबांदी कर बदरा आगे बढ़ गए। हालांकि सक्रिय मौसम प्रणालियों के असर से मौसम विभाग ने चौबीस घंटें में गरज चमक के साथ बारिश होन की संभावना जाहिर की है। मानसून सीजन में बारिश का आंकड़ा 1153.6 मिमी पर पहुंच गया। चौबीस घंटे में 17 मिमी बारिश दर्ज हुई है। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते बरगी बांध का जलस्तर बुधवार सुबह 8 बजे जल स्तर 422.40 मीटर आंका गया। वर्तमान में बांध में पानी की आवक 1023 क्यूसेक है। बांध के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए शाम 04 बजे जल की निकासी को 195 क्यूसेक से बढाकर 775 क्यूसेक किया गया अब 5 जल द्वार 1.00 मीटर ऊंचाई पर खुले रहेंगे। जिससे माँ नर्मदा के घाटों पर वर्तमान जलस्तर से 3 से 4 फुट की वृद्धि होगी। बांध में पानी की आवक के अनुसार जल की निकासी को घटाया व बढ़ाया भी जा सकेगा।

राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह को आज नमन करेंगे मुख्यमंत्री

जबलपुर। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव गुरुवार को राजा शंकर शाह तथा कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर माल्यार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव रानी दुर्गावती चिकित्सालय, जबलपुर में स्वच्छता अभियान में श्रमदान करेंगे। वे राजा शंकर शाह तथा कुंवर रघुनाथ शाह जी के संग्रहालय का भ्रमण भी करेंगे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री डॉ. यादव घण्टाघर के समीप स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनफॉरमेशन सेंटर में राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

कब कहां पहुंचेंगे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सुबह 11 बजे भोपाल से राजकीय विमान द्वारा जबलपुर आयेंगे तथा यहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोपहर 3 बजे डुमना एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा कटनी जिले के बड़वारा प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का शाम 5.25 बजे बड़वारा से हेलीकॉप्टर द्वारा वापस डुमना एयरपोर्ट जबलपुर आगमन होगा। डॉ. यादव शाम 5.30 बजे डुमना एयरपोर्ट से राजकीय विमान द्वारा भोपाल प्रस्थान करेंगे।

वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित, बने डायवर्सन

कानून एवं यातायात व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए व्हीआईपी के आगमन एवं व्हीआईपी के प्रस्थान तथा आयोजित कार्यक्रम तक

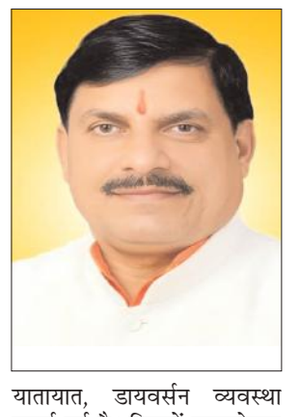

यातायात, डायवर्सन व्यवस्था बनाई गई है। जिसमें मालगोदाम चौक कार्यक्रम दौरान तहसील चौक से पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। इस रूट से आने जाने वाले वाहन हाईकोर्ट चौक होते हुये सिविल लाईन की ओर जा सकेंगे, हाईकोर्ट चौक से कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाले वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सभी वाहन पर्यटन तिराहे व पुल न. 2 होते हुये जा सकेंगे। सिर्फ रेल्वे स्टेशन प्लेटफार्म न. 6 जाने वाले वाहन डीआरएम आफिस के सामने से प्लेटफार्म न. 6 की ओर जा सकेंगे, सिविल लाईन की ओर से मालगोदाम चौक की ओर आने वाले वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सभी वाहन पुल न. 1 से कांचघर की ओर जा सकेंगे तथा कांचघर की ओर से आने वाले वाहन पुल नम्बर 1 से सिविल लाईन होते हुये जा सकेंगे।

कलेक्टर ने तैयारियों का लिया जायजा

कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने माल गोदाम के पास राजा शंकरशाह व कुवंर रघुनाथशाह की प्रतिमा स्थल, रानी दुर्गावती संग्रहालय, एलगिन हॉस्पिटल और नेताजी सुभाषचंद्र बोस कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम की गरिमा को दृष्टिगत रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो।

मूंद मुख दंडिन को चुगलों को चबाई खाई
खूंद दौड़ दुष्टन को, शत्रु संहारिका।
मार अंग्रेज, रेज, कर देई मात चण्डी
बचौ नहीं बैरि, बाल बच्चे संहारिका।
शंकर की रक्षा कर, दास प्रतिपालकर
दीन की सुन आय मात कालिका।
खायइ लेत मलेछन को, झेल नहीं करो अब
भच्छन कर तच्छन धौरमात कालिका।

राजा शंकर शाह की कविताएं आजादी की अलख जगाने का काम कर रहीं थी। उनके द्वारा अंग्रेजों के विनाश के लिए माँ काली से प्रार्थना हेतु लिखा गया यह पद अंग्रेजों के खिलाफ उनके विद्रोह की गवाही बना। उन पर अग्रेंजों ने मुकदमा चलाया और उन्हें तोप के मुहाने पर बांधकर मौत की सजा दी गई ...

देश के स्वाभिमान के सच्चे रक्षक
राजा शंकर शाह
कुंवर रघुनाथ शाह
के अमर बलिदान को कृतज्ञतापूर्ण नमन
बलिदान दिवस
कार्यक्रम

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

आदि कर्मयोगी अभियान अंतर्गत आदि सेवा पर्व
जनजातीय समाज के स्वाभिमानी संकल्प को संरक्षित करता मध्यप्रदेश

- जनजातीय समाज को शासकीय योजनाओं से सीधे जोड़ने के इस अभियान से योजनाओं का लाभ उन तक आसानी से पहुंचेगा
- प्रदेशभर के 3 लाख से अधिक जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा होगा जागरूकता का प्रसार
- ग्राम स्तर पर सीधे संवाद, आदि सेवा केंद्रों की स्थापना और शिकायत निवारण के लिए व्यवस्था होगी सुनिश्चित
- स्थानीय भाषाओं में कार्यशालाएं, जागरुकता रैलियां और जनजातीय विकास हेतु होंगी कार्ययोजनाएं तैयार
- सेवा पर्व न केवल समान और न्यायपूर्ण सेवा वितरण सुनिश्चित करेगा बल्कि जनसहभागिता को भी प्रोत्साहित करेगा

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

सीधा प्रसारण @Cmmadhyapradesh @jansampark.madhyapradesh @Cmmadhyapradesh @jansamparkMP JansamparkMP

मुख्य अतिथि
डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश
18 सितम्बर 2025 । पूर्वाह्न 11:00 बजे
जबलपुर, मध्यप्रदेश

D- 11106/25

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57